"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016— चैत्र 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 10-1/2016/वा. कर (आब.)/पांच (14). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उप खण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2016/वा. कर (आब.)/पांच (11), नया रायपुर, दिनांक 25-02-2016 में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :-

उक्त अधिसूचना के हिन्दी संस्करण की कंडिका 2 में अंकित "दिनांक 1 अप्रैल, 2014" के स्थान पर "दिनांक 1 अप्रैल, 2016" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.